



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 चैत्र 1938 (श0)
(सं0 पटना 272) पटना, सोमवार, 4 अप्रील 2016

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

4 अप्रील 2016

सं० एल0जी0-01-01/2016/57-लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 1 अप्रील 2016 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के सचिव ।

[बिहार अधिनियम 4, 2016]

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2016

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) का संशोधन करने हेतु अधिनियम।
भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**—(1) यह अधिनियम बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।
2. **अधिनियम 27, 2005 की धारा-3क में संशोधन।**— उक्त अधिनियम, 2005 की धारा 3क की उप-धारा (1) में प्रयुक्त शब्द "बीस प्रतिशत" शब्द "तीस प्रतिशत" द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
3. **अधिनियम 27, 2005 की धारा-14 में संशोधन।**— उक्त अधिनियम, 2005 की धारा-14 की उप-धारा (1) के खंड-(घ) में प्रयुक्त शब्द "साढ़े तेरह प्रतिशत" शब्द "साढ़े चौदह प्रतिशत" द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
4. **अधिनियम 27, 2005 की धारा-70 में संशोधन।**— उक्त अधिनियम, 2005 की धारा-70 में जहाँ-जहाँ शब्द "नब्बे दिन" प्रयुक्त हैं, को शब्द "साठ दिन" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
5. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**— (i) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अध्यादेश, 2016 (बिहार अध्यादेश संख्या-1, 2016) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
 - (ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के सचिव।

4 अप्रैल 2016

सं0 एल0जी0-01-01/2016/58-लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा 1 अप्रैल 2016 को अनुमत बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2016 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 4, 2016]
BIHAR VALUE ADDED TAX ACT, 2016
AN
ACT

TO AMEND THE BIHAR VALUE ADDED TAX ACT, 2005 (ACT 27, 2005)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty-Seventh year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and commencement.**— (1) The Act may be called the Bihar Value Added Tax (Amendment) Act, 2016.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
 - (3) It shall come into force at once.
2. **Amendment of section-3A of Act 27, 2005**— The words "twenty percentum" used in sub-section (1) of section-3A of the said Act, 2005 shall be substituted by the words "thirty percentum."

3. Amendment of section-14 of Act 27, 2005.— The words "thirteen and a-half percent" used in clause (d) of sub-section (1) of section-14 of the said Act, 2005 shall be substituted by the words "fourteen and a-half percent."

4. Amendment of section-70 of Act 27, 2005.— The words "ninety days" used anywhere in section-70 of the said Act, 2005 shall be substituted by the words " sixty days."

5. Repeal and Savings— (i) Bihar Value Added Tax Ordinance, 2016 (Bihar Ordinance No.-1, 2016) is hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing was done or action taken.

By order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 272-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>